



भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

रवारेट्या और रवच्छता



राष्ट्रीय जन सहयोग एवं
बाल विकास संस्थान

इस पत्रिका में निम्नलिखित विषयों पर जानकारी दी गई है:

- स्वास्थ्य और पोषाहार—एक सिंहावलोकन
- संतुलित आहार
- शारीरिक गतिविधि
- जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान पोषण का महत्व
- शिशु और छोटे बच्चों को आहार देने संबंधी व्यवहार
- बाल्यावस्था की बीमारियां
- प्रतिक्षण (टीकाकरण)
- प्रथमोपचार
- मासिक धर्म और मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता
- किशोरावस्था प्रजनन और यौन स्वास्थ्य
- परिवार नियोजन
- बच्चों और महिलाओं के विकास और देखरेख के लिए सरकार की ओर से की गई पहल
- स्वच्छ पेय जल और खाद्य अपमिश्रण



स्वास्थ्य और पोषाहार – एक सिंहावलोकन

- स्वास्थ्य का संबंध सम्पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कुशलता से है। इसका संबंध केवल बीमारी या निःशक्तता न होने से नहीं है।
- स्वास्थ्य के कई आयाम हैं। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि विभिन्न आयामों जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, मावनात्मक, व्यावसायिक और राजनीतिक के बीच नियंत्रण सामंजस्य बना रहे।
- पोषाहार शरीर की आहार संबंधी ज़रूरतों को शरीर को उपलब्ध कराने से संबंधित है।
- अच्छा पोषाहार वह है जो नियमित शारीरिक श्रम के साथ पर्याप्त और टीक ढंग से संतुलित आहार द्वारा शरीर को उपलब्ध कराया जाए और वह ही अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है।
- आवादी की स्वास्थ्य और पोषाहार संबंधी रिथिति राष्ट्र की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण सूचक है।
- स्वास्थ्य और पोषाहार संकेतकों पर शास्त्रीय रूपरेखा के आंकड़े खट्ट करते हैं कि भारत में स्वास्थ्य और पोषाहार की रिथिति मानक रूपरेखा से नीचे है।

संतुलित आहार

- संतुलित आहार वह है जिसमें सभी पोषक तत्व शरीर की ज़रूरत के अनुसार उचित मात्रा में मौजूद होते हैं।



आहार का सूची-स्तंभ (पिरामिड)



संतुलित आहार में कैलोरी के घटक

कारबोहाइड्रेट लगभग 50–60 प्रतिशत (प्रायः गेहूं का दलिया, बाजरा, गेहूं जादि जैसे कारबोहाइड्रेट युक्त साध पदार्थ)

प्रोटीन लगभग 10–15 प्रतिशत

वसा: लगभग 20–30 प्रतिशत दर्शनीय और जदर्शनीय दोनों तरह के वसा)


संतुलित आहार के लाभ

अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार जरूरी है क्योंकि इससे:

- पोषक तत्वों की कमी का खतरा कम होता है।
- कुछ असंक्रामक जैवों जैसे मोटापे, मधुमेह, हृदय रोग, कई तरह के कैंसर और हड्डीयों से जुड़ी समस्याओं से रक्षा होती है।
- प्रतिश्वसण शक्ति को बढ़ाने वाले जरूरी विटामिनों और खनियों की मरपाई होती है।
- शारीर का उचित वजन बनाए रखने में मदद मिलती है।

शारीरिक गतिविधि

- शारीरिक गतिविधि वह क्रिया है जो शारीर की मांस-पेशियों और पूरे द्वाँचे को संचालित करके की जाती है और जिसे करने के लिए शारीरिक ऊर्जा खर्च होती है।
- नियमित शारीरिक गतिविधि जैसे टहलना, साइकिल चलाना, नृत्य करना, स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद है। उदाहरण के तौर पर इससे वजन बढ़ाना, मोटापा, हृदय संबंधी जैव, मधुमेह, हड्डी संबंधी समस्याओं का खतरा घटता है और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है।



शारीरिक गतिविधियों का सूची-स्तंभ (पिरामिड)

शारीरिक गतिविधि के स्वास्थ्य संबंधी लाभ

- इससे शारीर का वजन और गठन नियंत्रित रहता है।
- दीर्घकालिक बीमारियों जैसे प्रकारा-2 मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हड्डी रोग और कई तरह के कैंसर का खतरा कम होता है।

- अच्छे कोलेस्ट्रोल उच्च सघनता लिपोप्रोटीन (एचडीएल) का स्तर बढ़ता है।
- मांस—पेशियां, हड्डियां और जोड़ मजबूत बनते हैं।
- शरीर लचीला बनता है।
- अवसाद / उदासीनता मागती है।
- मनोदशा में सुधार आता है और आत्मसम्मान एवं स्वास्थ्य की समझ बेहतर बनती है।

जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान पोषण का महत्व

- मोजन सामान्य शारीरिक क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है।
- जब कोई व्यक्ति जीवन-चक्र की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है, तब उसकी पौष्टिक जरूरतें शरीर की बढ़ती जरूरतों के अनुसार बदलती हैं।

विभिन्न अवस्थाओं के दौरान पोषण का महत्व

शारीरिक रूप से शक्तियाँ और
स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त
पोषक तत्वों से युक्त गर्भ तथा
वर्षायुक्त आठ पदार्थ



गर्भावस्था और स्तनपान की अवस्था के दौरान
पर्याप्त पोषक तत्वों से युक्त मोजन के साथ
खाद्य पदार्थ में मोजन



शारीरिक विकास, परिप्रवता और हड्डियों के विकास के
लिए किशोरवस्था में शारीर निर्माण और सुख करने वाले
खाद्य पदार्थ



बढ़ने, शारीरिक विकास और संक्रमण रोकने के लिए कर्जा युक्त, शारीर निर्माण
और सुखा देने वाले खाद्य पदार्थ (दृष्टि, संचियां और फल)



विकास और समृद्धि माहस्ट्रोन अर्जित करने के लिए मां का दृष्टि कर्जायुक्त खाद्य पदार्थ
(वसा, चीनी)

वयस्क महिलाओं की पौष्टिक जरूरतें

- युवा अवस्था में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त पोषक तत्वों को
ग्रहण करना आवश्यक है।
- युवा अवस्था में उचित पोषण से वृद्धावस्था तक स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है।

गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान पोषण

- गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान शारीरिक परिवर्तनों के लिए महिलाओं को विशेष
पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है इसलिए पोषण उनके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है।

गर्भवती महिलाओं को चाहिए कि वे:

- संतुलित आहार और तरह-तरह के खाद्य पदार्थों को खाएं ताकि उनकी पौष्टिक जरूरतें पूरी हों।
- दिन में बार से पांच बार खाएं।
- अधिक से अधिक अनाज, दाले, दूध और दूध से बने व्यंजन, ताजे फल और हरी पत्तियों वाली सब्जियां खाएं।
- यदि संस्कृति के अनुसार स्वीकार्य और सामर्थ्य के भीतर हो तो मांस, मछली, अण्डे खाएं।
- मोजन में तेल या घी मिलाएं क्योंकि इनसे काफी ऊर्जा मिलती है।
- आयोडीनयुक्त नमक खाएं।
- अधिक से अधिक पानी पियें।
- यदि जी मिचलाने और उलटी की शिकायत हो तो थोड़ी-थोड़ी देश के बाद खाएं किन्तु खाना बंद न करें।
- गमविरस्था के दौरान किसी तरह के खाने का परहेज न करें किन्तु तम्बाकू और मटिरा का सेवन बिल्कुल न करें।
- हर दिन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध अनुपोषण आहार को अवश्य खाएं।
- खाने को लेकर किसी तरह की आदत और अविश्वास को दूर रखें।
- टीकाकरण करवाएं और पर्याप्त मात्रा में आशम करें।

स्तनपान कराने वाली महिलाओं को हर दिन सामान्य आहार के साथ-साथ एक और अच्छी गुणवत्ता वाला आहार लेना जरूरी होता है ताकि वह शिशु की जरूरतों का ख्याल रख सके और इसलिए उसे:

- अधिक से अधिक खड़े अनाज, दालें, दूध, दही हरी पत्तेदार सब्जियां और फल भी खाने चाहिए।
- केवल आयोडीनयुक्त नमक ही खाना चाहिए।
- बड़ी मात्रा में पानी पीना चाहिए।
- मसालेदार और उच्च कैलोरी वाले आहार जैसे घी, मूंगफली आदि बड़ी मात्रा में नहीं खाना चाहिए ताकि अवाञ्छित वजन न बढ़ने पाए।
- प्रसव के बाद 6 माह तक आंगनबाड़ी केन्द्रों पर मिलने वाले अनुपूरक पोषाहार को हर दिन खाना चाहिए ताकि दूध पिलाने की वजह से बढ़ी हुई पौष्टिक जरूरतें पूरी हो सकें।
- अपना दूध सहजता से पिलाएं ताकि ठीक हंग से दूध निकले।
- स्तनपान के पहले छह माह तक आयसन फॉलिक एसिड (आईएफए) का सेवन अवश्य करें।

• गर्भवती महिला को नजदीकी आंगनबाड़ी केन्द्र/उपकेन्द्र में अपना पंजीकरण कराना चाहिए।

• उसे आंगनबाड़ी केन्द्र/उपकेन्द्र पर प्रसव पूर्व जांच, अनुपूरक पोषाहार और रेफरल सेवाएं प्रदान की जाएंगी।



शिशु और छोटे बच्चों को आहार देने संबंधी व्यवहार

शिशु और छोटे बच्चों को आहार देने के व्यवहार अच्छी तरह से ज्ञात और आम अनुशासित सुझावों का सेट है जो नवजात शिशु और बच्चों के उपयुक्त आहार के लिए जरूरी है। इष्टतम आई वाई सी एफ व्यवहार निम्नलिखित हैं:

केवल स्तनपान (0 से 6 माह तक)

- जन्म के बाद जितना जल्दी हो सके यथासंभव एक घण्टे के मीत्र मां का दूध पिलाना शुरू कर दें।
- स्तनपान की अच्छी आदतें विकसित करें (ठीक ढंग से बिठाना, बच्चे को स्तनपान के लिए सही ढंग से लगाना और प्रमाणी ढंग से दूध पिलाना)।
- शिशु को छह माह तक की उम्र तक केवल मां का दूध पिलाएं।
- शिशु को अनेक बार मांगने पर स्तनपान कशाएं साथ ही शत में भी स्तनपान कशाएं।



स्तनपान कराने के फायदे

शिशु के लिए

- आसानी से पच जाता है
- शिशु की संकरण से रक्षा करने वाले पौष्टक तत्व मौजूद होते हैं
- चूसने से शिशु के जबड़े उठने और दात निकलने में मदद मिलती है
- माता के साथ चिपककर दूध पीने से शिशु के प्रति माता का लगाव बढ़ता है
- तुरंत उपवन्ध, सही तापमान और पूरी तरह सुरक्षित होता है
- साफ शिशु की जरूरतों के अनुसार रोग क्रमाता को बढ़ाने वाला

माता के लिए

- प्रसव के बाद अधिक रक्तस्राव का खतरा घटता है
- माता को आत्मीय संतोष मिलता है और मां होने का गर्व होता है
- स्तन और अंडाशय के कैंसर से रक्षा होती है
- दोनों के बीच मावनात्मक जुड़व बढ़ता है
- अमृत्यु

अनुपूरक ठोस आहार (6 से 24 माह तक)

छह माह की आयु के बाद मां का दूध शिशु की पौष्टिक जरूरतों पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं होता इसलिए शिशु को आयु के अनुसार ठोस अनुपूरक आहार भी दिया जाना चाहिए।

अच्छे ठोस अनुपूरक आहार की विशेषताएं

- उसमें पर्याप्त मात्रा में ताकत देते वाले तत्व और अच्छी कॉट के प्रोटीन, विटामिन और खनिज तत्वों का होना जरूरी है।
- मुलायम हो और उसमें आसानी से पच सकने वाले स्थायी फाइबर (गुदा) हो जिसे शिशु सखलता से निगल सके।
- आसानी से पकाए जाने योग्य और आसानी से स्थानीय रूप से उपलब्ध होना चाहिए।

अनुपूरक आहार को ऊर्जा और पोषकतत्वों से समृद्ध बनाने के लिए टिप्पणी

- बसा तथा तेल को मिलाकर भोजन को समृद्ध बनाएं।
- भोजन में दालों और मीठी फलों तथा सब्जियों विशेष रूप से गहरे हरे रंग की पतेदार लाल और पीले रंग की सब्जियों को इस्तेमाल करें।
- चीनी और गुड़ मिलाएं।
- स्थानीय रूप से उपलब्ध चारी और बाजारे जैसे मोटे जनाज मिलाएं।
- अंकुरण, खुमिये उठाना तथा संकर्तन जैसी तकनीकों को अपनाएं।
- आहार में पशुओं से प्राप्त होने वाले पदार्थों को शामिल करें (यदि परिवार आसानी है तो)।

बच्चों को आहार देते समय अनिवार्य और वर्जित कार्य

यह करें (अनिवार्य कार्य)

- ✓ एक बार में केवल एक नए आहार को देना शुरू करें।
- ✓ नए आहार की स्वीकृति बढ़ाने के लिए उसे कम मात्रा, दिन में दो बार, 2 से 3 चमच में खिलाना शुरू करें।
- ✓ शिशु को नया आहार खिलाते समय सद्य में वह आहार भी खिलाएं जो शिशु को पहले से पसंद हो।
- ✓ भोजन करते समय नया आहार शिशु को पहले खिलाएं क्योंकि उस समय शिशु भूमा होता है और नए आहार को आसानी से खा होता है, किन्तु पेट भरा होने पर नया आहार आसानी से नहीं खाता।
- ✓ जाहार को बढ़ते कम में खिलाएं जैसे सबसे शुरू में बहुत मुलायम वस्तु खिलाएं उसके बाद गमसला हुआ आहार खिलाएं उसके बाद कुछ गुदा खिलाएं जिसे चबाकर आया जाए और अंत में परिवार के सद्य खाने वाला भोजन खिलाएं।

यह न करें (वर्जित कार्य)

- ✗ शिशु को दिए जा रहे नए आहार को जल्दी से उसके पासंदीदा आहार जैसे गां का कूदा, बोतल वाला दूध से न बढ़ाते, इससे शिशु नए आहार को जल्दी स्वीकृत करनी पाता।
- ✗ स्वादिष्ट भोजन या मिठाई जैसी वस्तुएं देकर शिशु को बहलाएं नहीं।
- ✗ शिशु को जबरबस्ती न खिलाएं और न ही उसे खाना न खाने के सजा दें।
- ✗ पहली बार में कोई नया आहार यदि शिशु न खाए तो यह न सकते कि उसे वह आहार अच्छा नहीं लगा।
- ✗ जिन वस्तुओं में शिक्क कैलारी होती है जैसे मिठाई कैप्पडी जादि, उन्हें बहुत कम मात्रा में देना चाहिए।

वृद्ध महिलाओं के लिए पोषण

- वृद्धावस्था के दौरान पर्याप्त पोषण तत्व और संतुलित आहार बेहद जरूरी हैं।
- उन्हें सूक्ष्म पौष्टिक तत्वों से युक्त आहार, जिसमें पर्याप्त मात्रा में त्रफल पदार्थ हों खाना चाहिए। प्रासंकृत उत्पादों से परहेज करना चाहिए।
- उन्हें आसानी से चबाए और पचाए जाने वाला आहार देना चाहिए।

बाल्यावस्था की सामान्य बीमारियां

- बीमारी वह स्थिति है जिसमें शरीर की सामान्य क्रियाएं बिगड़ जाती हैं और यदि बीमारी का उचित और समय रहते उपचार न हो तो शोरी की मृत्यु हो सकती है।
- अधिकावक द्वारा शिशु के रोग के शुरुआती लक्षणों को न समझ पाना और समय से उसका उचित उपचार न करवा पाना दो मुख्य कारण हैं जिनसे शिशु की मृत्यु भी हो सकती है।
- बच्चों को होने वाली सामान्य बीमारियां बुखार, अतिसार (डायरिया), गंभीर इवसन संबंधी संक्रमण, पीतज्वर (पिलिया), प्रोटीन लर्जा की कमी से कुपोषण और एकाल्पता (अनीमिया) हैं।

बाल्यावस्था की सामान्य बीमारियों के लक्षण और इलाज

बीमारी	लक्षण	उपचार
डायरिया (अतिसार)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ प्रत्येक दिन में कम से कम तीन बार विसर्जन की कमी जाती है ▪ अस्थिरता, चिह्निक्षापन ▪ भूख न लगना ▪ गहरे रंग का पेशाव होना ▪ आंखों का छासना ▪ त्वचा पर चुटकी काटने से काफी देर तक निशान का बने रहना ▪ तरल पदार्थ प्रह्लादन करने में परेशानी ▪ पानी की कमी की गंभीर स्थिति में शरीर का अत्यधिक शिथिल पद जाना या बेहोशी की स्थिति आ जाना 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ व्यक्तिगत, जाहार व पर्यावरण में स्वच्छता बनाए रखें ▪ डायरिया के दौरान शिशु को मां का दूध पिलाते रहें ▪ बच्चों को जिंक युक्त औरल रिहायझरेन सोल्यूशन (ओ आर एस) पिलाएं जो स्लानिं चिकित्सा केन्द्र पर, दवाई की दुकान पर जासानी से उपलब्ध हो जाता है, यदि वह भी न मिले तो यह ग्लोब घ्र पर ही बनाया जा सकता है ▪ बच्चे को काफी मात्रा में पानी, सूप, हल्की चाय, नाशियल का पानी, दाल और चावल का पानी/माली थोड़ी-थोड़ी देर में पिलाते रहें। ▪ बच्चे को हल्का जाहार जैसे दिलिया, छिपड़ी सूत् खिलाएं जिससे वह बीमारी से उमर सके ▪ डायरिया कावू में आने के बाद बच्चे का जाहार बढ़ाएं। छिपड़ी में बक्कल गिलाकर भी छिला सकते हैं
हैपेटाइटिस/ जाऊंडस	<ul style="list-style-type: none"> ▪ पीला पेशाव आना और काफी अधिक घसीता निकलना ▪ आंखों और त्वचा का पीला दिखना ▪ भूख न लगना ▪ उत्टी आना ▪ सिर दर्द और कमजोरी ▪ बुखार आना 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ बच्चों को टीका लागाएं (हैपेटाइटिस का टीका सामान्य टीकाण की सूची में शामिल किया गया है) ▪ व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ-सफाई रखें ▪ भूल का उचित ढंग से निपटान करें ▪ शुद्ध पानी की व्यवस्था रखें ▪ शोरी को अलग रखें

<p>गंभीर इत्यन संबंधि संक्रमण</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • सांस लेने में कठिनाई महसूस करना • सीने में दर्द • सांस लेते समय छाती के निचले हिस्से का अंदर की ओर हो जाना • कफ बनना • सांस लेते समय सीटी/ घरघराहट सी आवाज आना • जल्दी जल्दी सांस लेना • भूख न लगना • उनीचापन • जागे रहने में परेशानी • नाक बहना 	<ul style="list-style-type: none"> • बच्चों को खसरे, कुकुर खांसी हीमोफिलस इन्फ्यूंज़ा टाइप वी (एचआईवी) से प्रतिरक्षा ठीकां लगवाएं • व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई बनाए रखें • आसांते और छोड़ते समय मुँह और नाक को छुक कर रखें • डॉक्टर की सलाह ले और लिखी गई एण्टीबायोटिक दवाइयां खिलाएं • बच्चों के जाहार में विटामिन और खनिज की मात्रा बढ़ाएं विटामिन सी जैसे पीषणीय तत्व प्रतिस्पृश समया बढ़ाते हैं
<p>प्रोटीन रुचा कुपोषण</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • भूख न लगना • गंभीर वेरिट्टा (सूखारोग) • शरीर पर भास न होना (सूखारोग) • अडीमा (क्वारियोफ्लर) • सूखी और पम्फी वाली त्वचा • बाल झड़ जाना • वजन घटना • लम्बाई रुक जाना 	<ul style="list-style-type: none"> • छह माह तक शिशु को केवल मां का दूध पिलाएं उसके बाद साथ में अनुपूर्क लोस जाहार भी खिलाएं • व्यक्तिगत और पर्यावरण की स्वच्छता और साफ-सफाई रखें • तेल, चीनी, कीम जादि मिला ताकत युक्त भोजन खिलाएं • तरह-तरह के जाहार खिलाएं • संक्रमण की रिधि में डॉक्टर की तुरंत सलाह ले और उपचार कराएं
<p>अनीमिया</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • त्वचा पीला पह जाना • सुख्ती और चिड़ियाड़िपन • भूख कम लगना • सांस लेने में मुश्किल होना • कमज़ोरी 	<ul style="list-style-type: none"> • गहरी हड़ी पत्तियों वाली सब्जियां, पश्चिमित प्रोटीन, उड़ा जनाज मिलाकर लौह तत्व युक्त जाहार खिलाएं • यदि शिशु अभी मां का दूध पिलाते रहे तो उसे मां का दूध पिलाते रहे • बच्चे को कौड़े भारने की दवाई देना सुनिश्चित करें • विटामिन सी की प्रचुर मात्रा वाले खाद्य पदार्थ जैसे अमरुद, संतरा, नीबू का रस मिलाकर जाहार खिलाएं • यदि डॉक्टर ने सुझाया है तो आयरन पूरक दें • लौह तत्व युक्त भोजन के साथ दूध य दूध से बने पदार्थ, चाय, काणी का सेवन न करें

बुखार 	<ul style="list-style-type: none"> किसी भी बच्चे को मतेश्या और सरा या अन्य घातक बीमारियों या सामान्य खांसी या नुक़ान या दूसरे तरह के वाइरल संक्रमण के कारण बुखार हो सकता है। शरीर के तापमान का 37.5 डिग्री सेलेसियस या अधिक होना भूख न लगना 	<ul style="list-style-type: none"> पौष्टिक स्तर बनाए रखने के लिए पर्याप्त जाहार खिलाएं व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ-सफाई रखें मां का दूप पिलाते रहें डॉक्टर की सलाह ले और लिखी गई दवाइयां दें
---	--	--

टीकाकरण (प्रतिरक्षण)

- टीकाकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को किसी तरह की संक्रामक बीमारी से प्रतिरक्षा करने या लड़ने की ताकत दी जाती है ऐसा प्रायः टीका लगा कर या दवा पिलाकर किया जाता है।
- टीकाकरण से बच्चों की प्राण घातक संक्रामक बीमारियों जैसे तपेदिक, पट्ट्यूसेस (कुकर खांसी), खसरा, डिएशिया, पोलियो माइलिटिस, टिटनस, हैंपेटाइटिस वा जापानी एसीफॉलेटिस से रक्खा होती है।

टीका क्यों लगवाएं?

- इससे बाल मृत्यु-दर घटती है।
- इससे प्रतिरक्षण कमता बढ़ती है और संक्रामक बीमारियों से सुरक्षा होती है।
- इससे बीमार बच्चे के इलाज में खर्च होने वाले धन की बचत होती है।

प्रथमोपचार

- प्रथमोपचार किसी बीमारी या चोट लगने की स्थिति में दिया जाने वाला शुरुआती उपचार है।
- इसमें कई तरह के सामान्य उपचार और कुछ मामलों में जीवन रक्षक तकनीकें शामिल होती हैं, जिन्हें कम से कम उपकरणों की मदद से करने के लिए किसी भी व्यक्ति को प्रशिक्षित किया जा सकता है।
- सही चिकित्सा प्राप्त होने से पहले यह उपचार कोई भी व्यक्ति आपातकाल की स्थिति में किसी बीमार या चोट खाए व्यक्ति के लिए कर सकता है।

याद रखें!

- यदि बच्चों को हल्की बीमारी जैसे बुखार ठंड खांसी या डायरिया है तब भी टीका समय से लगवाना न मूलै।
- नियमित टीकाकरण के साथ पल्स पोलियो दिवसों के दौरान पल्स पोलियो की खुशक दिलाएं।



- सामान्य चोटें हैं – उंचाई से गिरना, जलना, छबना और सड़क दुर्घटना।
- चिकित्सा आपातकाल/दुर्घटना की स्थिति में तत्काल कार्खाई की जानी चाहिए और 102 नम्बर डायल करके एम्बुलेंस बुलानी चाहिए।

मासिक धर्म और मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता

मासिक धर्म:

- एक संकेत है जो बताता है कि लड़की प्रौढ़ता / परिपक्वता की ओर बढ़ रही है।
- गमधान न होने से रक्षी की योनि के रास्ते उसके गमशिय की नली से ऊतक और इक्त का निकलना।
- जिसे 'माहवारी' 'मासिक काल', 'मासिक इक्तसाव' और 'मासिक चक्र' भी कहते हैं, शरीर रखना की परिपक्वता का सामान्य और प्राकृतिक हिस्सा है।

मासिक धर्म यह नहीं है:

रोग	अख्यरणता
बीमारी	संक्रमण
हानिकारक	गंदा
शर्मनाक	अशुद्ध

मासिक साव से पूर्व होने वाले

लक्षण (पी एम एस)

- मासिक साव से पूर्व होने वाले लक्षण मासिक चक्र से जुड़े हैं। ये लक्षण मासिक साव शुरू होने के एक से दो सप्ताह पूर्व शुरू हो जाते हैं।
- ये लक्षण किसी भी उम्र की महिला को प्रभावित कर सकते हैं और इसका प्रभाव प्रत्येक महिला के लिए अलग-अलग होता है।

- मुंहासे
- स्तनों में सूजन या दर्द
- धकान महसूस करना
- सोने में परेशानी
- पेट खराब होना, पेट फूलना / सूजना, कम्फ़ा या अतिसार
- सिरदर्द, पेटदर्द या पीठ दर्द
- मूख में परिवर्तन या तरह-तरह की चीजें खाने की इच्छा
- जोड़ों या गांसपेशियों में दर्द
- एकाप्रता या याद दाश्त में दिक्कत
- तनाव, चिड़िचिड़ाहट, मिजाज में बदलाव या झल्लाहट
- व्याकुलता या उदासीनता

मासिक साव के दौरान स्वच्छता

महिलाओं और किशोरियों में मासिक साव के दौरान स्वच्छता का ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि अस्वच्छ आदतों और व्यवहारों से प्रजनन अंगों में संक्रमण हो सकता है और अन्य खतरे भी हो सकते हैं। मासिक साव के दौरान स्वच्छता महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे:

मासिक साव से पूर्व होने वाले लक्षण

- संक्रमण से सुख्खा मिलती है
- शरीर से दुर्गंध नहीं आती
- महिलाएं स्वरथ रहती हैं
- महिलाएं आशाम, आत्मविश्वास महसूस करती हैं और पूरे दिन तरोताजा रहती हैं

मासिक धर्म के दौरान सुरक्षित बनाम असुरक्षित व्यवहार

मासिक धर्म के दौरान सुरक्षित व्यवहार

सेनेटरी पैड / कपड़े को दिन में कम से कम तीन बार या गीला हो जाने पर बदलना।

अपड़रविचर / पैण्टी हर दिन बदलना।

सेनेटरी पैड / कपड़ा बदलने से पहले और उसके बाद हाथ धोना।

इस्तेमाल किए गए कपड़े को गर्म पानी और नमक में धोना और धूप में सुखाना।

सेनेटरी पैड या ऐसे साफ कपड़े का इस्तेमाल करना जिसे खासतौर पर मासिक धर्म के लिए रखा गया हो।

मासिक धर्म के दौरान असुरक्षित व्यवहार

गंदे कपड़े का प्रयोग।

इस्तेमाल किए गए कपड़े को धार के किसी ऐसे कोने में सुखाने के लिए डालना जहां अंथकार ढू।

इस्तेमाल किए गए कपड़े को ऊरने या तालाब / नदी में धोना।

गंदी / मैली अपड़रविचर / पैण्टी पहनना।

किशोर यौन और प्रजनन स्वास्थ्य यौन स्वास्थ्य

- यौन स्वास्थ्य का आशय यौन व्यवहार से जुड़ी बीमारी और ब्रोट का न होना और यौन रूप से स्वरूप होना है।
- यौन उनमुखीकरण विचारशीली एहसास, व्यवहार और कार्यशीली को प्रभावित करता है और लोगों को प्रेम, सम्पर्क, जुड़ाव एवं अंतरंगता खोजने के लिए प्रेरित करता है।

प्रजनन स्वास्थ्य

- प्रजनन स्वास्थ्य प्रजनन प्रक्रियाओं, कार्यकलापों और जीवन की समरत अवस्थाओं को प्रभावित करता है।
- प्रजनन स्वास्थ्य का आशय है कि व्यक्ति संतोषप्रद और सुरक्षित यौन जीवन जीने के लिए सक्षम है और वह प्रजनन की क्षमता रखता है और यह निर्णय ले सकता है कि वह इस कार्य को कब और कितनी बार करें।

यौन रूप से स्वस्थ किशोरों की विशेषताएं

- अपने शरीर की प्रशंसा करना और उसकी देखभाल करना
- यौन सीमाओं पर बातचीत
- किसी के द्वारा यौन संबंध बनाने से इंकार को स्वीकारना
- अपने कार्य की जिम्मेदारी लेना
- अपने प्रजनन स्वारूप की जांच द्वारा देख-रेख करना
- यौन उन्मुखीकरण के बारे में जानकारी, संसाधनों और सेवाओं को प्राप्त करना
- परिवार और मित्रों के साथ प्रमाणी हंग से बात करना
- यौन क्रिया में लिप्त होने पर आवांछित गर्भ और यौन संचारित बीमारियों, एवआईवी/एड्स से सुझा के उपाय करना

प्रजनन नली में संक्रमण

- प्रजनन नली में संक्रमण या प्रजनन अंगों में संक्रमण का प्रजनन स्वारूप पर दृग्गामी प्रमाण होता है।
- यह अस्वच्छ व्यवहार एवं आदतों के कारण अविवाहित लड़कियों को भी प्रमाणित करता है।
- संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने से भी संक्रमण फैलता है जिससे जननांगों में अलसर हो सकते हैं।

यौन संचारित संक्रमण

- यौन संबंध के माध्यम से संचारित होने वाले संक्रमण को यौन संचारित संक्रमण कहते हैं।
- एवआईवी सहित यौन संचारित संक्रमण 15 से 24 वर्ष की उम्र के युवक-युवतियों में आम जांग है और यह युवतियों में ज्यादा पाए जाते हैं।

प्रजनन नली और यौन संचारित संक्रमण का खतरा पैदा करने वाले कारक

प्रजनन नली में संक्रमण का खतरा बढ़ाने वाले कारक

कमज़ोर स्वास्थ्य

जननांगों में स्वच्छता की कमी

मासिक शाव के दौरान स्वच्छता में कमी

शिशु का जन्म होने, गर्भात्, गर्भनिशेषक उपकरणों को लगाते समय सेवा प्रदाताओं द्वारा अपनाए गए अस्वच्छ व्यवहार

यौन संचारित संक्रमण का खतरा बढ़ाने वाले कारक

असुरक्षित यौन संबंध

एक से अधिक लोगों से यौन संबंध बनाना

ऐसे व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाना जिसके जननांग के आसपास घाव हैं या संक्रमित भूत जथ्या योनि स्त्राव से सर्पक से

एचआईवी/ एड्स

- एचआईवी का विस्तृत रूप है ह्यूमन इम्यूनो डेफिसिएंसी वायरस (मानव प्रतिरक्षा क्षमिकारक वायरस)। यह वायरस एड्स का कारण है।
- एचआईवी शरीर की प्रतिरक्षा क्षमताओं को कमज़ोर बना देता है जिसके कारण शरीर संक्रमण से अपनी रक्त नहीं कर पाता।
- प्रतिरक्षक क्षमता कमज़ोर हो जाने के बाद शरीर रोगों से नहीं लड़ पाता और व्यक्ति को प्राणघातक बीमारियां हो जाती हैं। एचआईवी संक्रमण का पता खून की जांच करने के बाद चलता है।
- एड्स का विस्तृत रूप है एचवायर्ड इम्यूनो डेफिसिएंसी सिंड्रोम (प्राप्त प्रतिरक्षक क्षमिकारक विषय) और इसका आशय एचआईवी संक्रमण का बदा हुआ रूप है।
- एचआईवी संक्रमण एड्स के रूप में विकसित होने में 8 से 10 साल से अधिक समय ले सकता है। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति कई वर्षों तक लक्षण मुक्त रह सकता है।



एचआईवी निम्नलिखित कारणों से फैलता है

- किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध जैसे गुदा मैथुन, योनि मैथुन या मुख मैथुन से (यह यौन संबंध पुरुष और पुरुष के बीच, महिला और महिला के बीच या पुरुष और महिला के बीच हो सकता है)।
- संक्रमित/असुरक्षित खून चढ़वाने से।
- गर्भावस्था, प्रसव या स्तनपान करते समय संक्रमित माता से शिशु को।
- संक्रमित सिरिंज और निडल या त्वचा पर चुमोने वाले उपकरणों के प्रयोग से।

एचआईवी निम्नलिखित कारणों से नहीं फैलता है

- एचआईवी संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने से।
- फोन कूप या सार्वजनिक परिवहन में वर्तुएं छूने से।
- तौलिए, कम्बल, क्रोकरी, बर्टन, और कपड़ों के साझा प्रयोग से।
- साझा टायलेट, तालाब/झारने/नहर या नदी में स्नान करने से।
- एक स्लेट या गिलास से खाने या पीने से।
- नई/रटेरलाइज निडिल से रक्तदान करने से।

- मच्छर के काटने से।
- एचआईवी संक्रमित व्यक्ति को छूने या देखमाल करने से।
- गले लगने या चुम्बन करने से।
- एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ खेलने या यात्रा करने से।



एड्स की रोकथाम

- यौन संबंध बनाते समय पूरी सावधानी बरतें।
- सिरिज और सुई साझा न करें।
- चिकितसा पद्धतियों के दौशन एचआईवी के विषाणु से बचें।



स्वैच्छिक सलाह और जांच केन्द्र (वीसीटीसी)

- वीसीटी बचाव और देखमाल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं।
- वीसीटी वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को गोपनीय ढंग से सलाह दी जाती है कि वह अपने एचआईवी संक्रमण का पता लगाए और एचआईवी जांच के लिए उसे विकल्पों की पूरी जानकारी दी जाती है।
- वीसीटी के अंतर्गत पूर्व-जांच, पश्च-जांच और अनुवर्ती जांच की सलाह शामिल है।
- वीसीटीसी सभी सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध है।



परिवार नियोजन

- परिवार नियोजन वह तरीका है जिससे आप अपने जीवन-साथी के साथ मिलकर अपने यौनिक जीवन को जीने के लिए तैयारी करते हैं।
- इसमें आप बच्चा कब चाहते हैं, गर्भाशयन कब करना चाहती है, कितने बच्चे चाहते हैं, प्रजनन से जुड़े मुद्दों को कैसे हल करेंगे, गर्भाशयन से कैसे बचेंगे, अनबाहा गर्भ आ जाने पर गर्भपात या कोई विकल्प न होने पर दत्तकगुहण जैसे उपायों पर सोचने जैसी बातें शामिल हैं।
- परिवार नियोजन चिंता का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि यह मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम कर मां और शिशु के स्वास्थ्य में योगदान देता है।



गर्भ निरोधक उपायों के प्रकार

अवशेषक तरीके	हास्मोन से जुड़े तरीके	गर्भनिरोधक उपकरण	प्राकृतिक तरीके	स्थायी तरीके	आपातकालिक तरीके
फंडोम	गर्भनिरोधक गोलिया	गर्भनिरोधक आइयूसीडी/ आइयूडी/ कोपर टी	संयम	महिला नसबंदी द्यूबैकटमी	गर्भनिरोधक गोलिया/ सुब्रह खाने वाली गोलिया
डॉयफ्राम	गर्भनिरोधक इंजेक्शन	योनि-छल्ला	प्रत्याहार विधि	पुरुष नसबंदी द्यूसेक्टमी	आपातकालिक आइयूडी
प्रीवा-टोपी			लय विधि		
चुक्राणुनाशक	गर्भनिरोधक/ हास्मोनल पैच		स्तनपान अनारंभ		

पुरुष कंडोम

- वीर्य को योनि में जाने से रोकता है जिससे गर्भाधान नहीं होता।
- केवल गर्भधारण को ही नहीं बल्कि यीन बीमारियों/एचआईवी आदि से भी बचाव करता है।



लाभ

- प्रमाणी और आसान तरीका है।
- आसानी से मिलने वाला एवं सरक्ता तरीका है।
- किसी तरह का दुष्प्राप्ति नहीं है।
- पुरुष साथी को सुरक्षित योनि संबंध और परिवार नियोजन की जिम्मेदारी साझा करने का अवसर मिलता है।

डायफ्रॉम

- यह युवा अवशेष द्वारा गर्भ नियंत्रण का तरीका है।
- इसमें युवा का मुँह ढक दिया जाता है जिससे वीर्य गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाता।

लाभ

- यह महिलाओं के मासिक साव पर प्रमाव नहीं डालता।
- यह एक सरक्ता उपाय है।

ग्रीवा-टोफी (सर्विकल कैप)

- डॉयफॉम की तरह इसे गर्भाशय की नली का चारता रोकने के लिए लगाया जाता है जिससे वीर्य गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाता।
- यह दो तरह का हो सकता है: कैविटी रिम कैप और अन्य कैप। कैविटी रिम कैप ग्रीवा में लगाया जाता है जबकि दूसरे कैप नली के बाहर योनि की दीवाज़ों पर लगाए जाते हैं।



लाभ

- सुरक्षित और सरता उपाय है।
- बार-बार प्रयोग किया जा सकता है, एक से दो वर्षों तक प्रभावी रहता है।

शुक्राणुनाशक (स्पर्मिसाइडस)

- इनमें शुक्राणुओं को नष्ट कर सकने वाले रसायन होते हैं जिससे वह गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाते।
- इसका प्रयोग प्रायः गर्भनिरोधक उपायों जैसे डायफ्राम, कंडोम, सर्विकल कैप आदि के साथ किया जाता है।

गर्भनिरोधक गोलियाँ

- अण्डे बनने की प्रक्रिया को रोकती है।

लाभ

- हर दिन लेने से बेहद प्रभावकारी है।
- सुविधाजनक और उपयोग करने में आसान है।
- इच्छानुसार बंद की जा सकती है।
- बंद करने के बाद फिर से गर्भ ठहर सकता है।
- अंडाशय और गर्भाशय में कैंसर का खतरा रोकती है।
- मासिक साव के दौशान खून के अत्यधिक शिशाव को रोकती है।
- मासिक साव को नियमित करती है।



गर्भ निरोधक इंजेक्शन

- इस इंजेक्शन में प्रोजेक्टोजिन होता है।
- यह इंजेक्शन गर्भाशय ग्रीवा की परत को मोटा कर देता है जिससे शुक्राणु अण्डे तक नहीं पहुंच पाते, गर्भाशय की आतंरिक परत को पतला कर देता है और कई महिलाओं में अण्डों को बाहर नहीं आने देता।

लाभ

- एक इंजेक्शन का असर या तो 8 सप्ताह, 12 या 13 सप्ताह तक रहता है।
- हर दिन एक गोली लेना याद रखना जल्दी नहीं है।
- सुरक्षित है और अत्यधिक मारी, कष्टदायक मासिक साव को रोकता है और मासिक साव के पहले के एहसासी कष्टों में लाभदायक है।

योनि छल्ला

- यह एक लचीला छल्ला होता है जिसे महिलाएं महीने में एक बार अपनी योनि के अंदर डाल लेती हैं जिससे गर्भ नहीं रुकने पाता।
- छल्ले से इस्ट्रोजिन और प्रोजेस्ट्रोजिन निकलता रहता है जिससे अण्डे बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है योनि से रिसाव गाढ़ा हो जाता है, जिससे शुक्राणु उसमें से निकल नहीं पाते और गर्भाशय की आतंरिक परत पतली हो जाती है जिससे वहाँ अण्डे प्रत्याशेपित नहीं हो पाते।

लाभ

- उपयोग करना आसान है।
- अंडाशय, गर्भाशय और नली में कैंसर होने का खतरा कम हो जाता है।
- मासिक साव से पूर्व एहसासी लक्षण में मदद मिलती है।

हारमोनल पैच

- त्वचा के शर्ते शरीर में हारमोन डालता है।
- इसमें वही हारमोन होते हैं जो गर्भनिरोधक गोलियों में होते हैं इसलिए यह उसी तरह काम करता है।

लाभ

- सुविधाजनक और उपयोग करने में आसान है।
- हर दिन एक गोली खाने को याद रखने की जरूरत नहीं रहती है।
- जब चाहें निकलवा सकते हैं।
- गर्भाशय और उसकी नली में कैंसर हो जाने का खतरा घटता है।
- मासिक साव के दौरान इक्त के अत्यधिक रिसाव को रोकता है।
- मासिक साव को नियमित करता है।

गर्भनिरोधक उपकरण (आईयूसीडी/आईयूडी/कॉपर-टी)

- आईयूडी (प्लास्टिक और कॉपर की बनी) एक छोटी लचीली वस्तु है जिसे डॉक्टर द्वारा महिला के गर्भाशय में लगाया जाता है।
- निषेचित अण्डों को रोककर गर्भ छहरने की क्रिया को रोकता है।

लाभ

- तीन वर्ष तक (या आईयूडी के प्रकार के आधार पर उससे मी अधिक समय तक) गर्भ ठहरने से चेक सकता है।
- हर दिन एक गोली खाने को याद रखने की ज़रूरत नहीं रहती है।
- लम्बे समय तक सुरक्षा प्रदान करता है।
- किसी प्रशिक्षित सेवा प्रदाता द्वारा कमी मी हटवाया जा सकता है।
- निकलवा देने पर तुरंत प्रजनन प्रक्रिया सामान्य हो जाती है।
- स्तनपान करने की प्रक्रिया पर कोई प्रमाण नहीं पड़ता।

प्राकृतिक तरीके

परहेज / संयम

- पुरुष और महिला दोनों ही संमोग करने से बचे, यह दोनों के लिए गर्भ न ठहरने का सबसे आसान तरीका है।

प्रत्याहार विधि

- इसमें रखतन से ठीक पहले लिंग को योनि से बाहर निकालना होता है।
- इससे वीर्य योनि के भीतर नहीं जाने पाता।
- लिंग को योनि से बाहर निकालने में विलम्ब हो जाने पर यह तरीका विफल हो सकता है।

लय विधि

- निषेचन के दिनों में (असुरक्षित दिनों में) संमोग नहीं करना होता।
- मासिक साव के पैटर्न को रिकार्ड करके सुरक्षित और असुरक्षित अवधि की गणना करनी होती है।

स्तनपान अनार्तव तरीका

- यह गर्भ धारण करने के विस्तृद्वय शिशु के जन्म से छह माह तक सुरक्षा प्रदान करता है।
- मां द्वारा लगातार स्तनपान करने के दौरान अन्य परिवार नियोजन उपायों को समय से शुरू करने को प्रोत्साहित करता है।

लाभ

- शिशु के जन्म होने के तुरंत बाद ही शुरू हो जाता है।
- इसके लिए किसी तरह की दवा लेने की आवश्यकता नहीं है।
- कोई दुष्प्रभाव नहीं होते और न ही कोई सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है।
- सरता और सरल उपाय है।

- बहुत सुविधाजनक है।
- किसी रसायनिक वर्स्तु या यांत्रिक उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है।
- शिशु को अतिसार एवं अन्य संक्रामक बीमारियों से बचाता है।

स्थायी तरीके

महिला नसबंदी (ट्यूबैकटमी)

- गर्भाशय की नली को कटाकर बांध दिया जाता है या एक छल्ले की सहायता से उसे बंद कर दिया जाता है (नेपरोस्कोपिक रुटर्टाइजेशन)।
- इससे शुक्राणु अण्डों तक नहीं पहुंच पाते हैं।

पुरुष नसबंदी (वैसेकटमी)

- पुरुषों की शुक्राणु वाली नली काटकर बंद कर दी जाती है जिससे शुक्राण वीर्य में नहीं मिल पाते।

आपातकालिक गर्भनिरोधक तरीके

- असुरक्षित यौन संबंध के मामले में आपातकालिक गर्भ निरोधक उपायों से गर्भाशय को रोका जा सकता है।
- आपातकालिक गर्भनिरोधक गोलियाँ (ईसीपी) असुरक्षित यौन संबंध के 72 घण्टे के भीतर लेनी होती हैं। किन्तु इसीपी का प्रयोग नियमित रूप से नहीं करना चाहिए।
- कुछ ईसीपी के नाम हैं, आई-पिल, अवार्छिट-72।
- आपातकालिक आईयूडी- कॉपर टी को भी आपातकालिक गर्भनिरोधक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है यदि समोग के बाद पांच दिनों के भीतर इसे लगावाया जाए। हर दिन सुबह ली जाने वाली गोलियों की तुलना में यह बेहद प्रभावी आपातकालिक गर्भ नियंत्रक उपाय है।

बच्चों और महिलाओं के विकास और देखरेख के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाई गई योजनाएं

समेकित बाल विकास सेवाएं (आई सी डी एस)

समेकित बाल विकास सेवा योजना 1975 में निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए चलाई गई थी:

- 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के पोषण और स्वारक्ष्य रूप में सुधार लाना।
- बच्चों के विकास के लिए नींव रखना।
- मृत्यु-दर अक्रान्ता, कुपोषण और रक्तूल छोड़ने की घटनाओं को कम करना।
- पोषण और स्वारक्ष्य शिक्षा के माध्यम से बच्चों की स्वारक्ष्य और पोषण संबंधी जरूरतों की देखभाल के लिए माताओं की क्षमता को बढ़ाना।

आई सी डी एस के अंतर्गत प्राकृति

क्र. सं.	संघटक	रोचाएं	लक्षित समूह	रोचा प्रदाता
1.	पूर्व राष्ट्राभास्मा देखानाल, दिक्षा उपा- विकास (ईं सी और ईं बी)	पूर्व राष्ट्राभास्मा देखानाल उपा- विकास (ईं सी और ईं बी), अन्य पूर्व राष्ट्राभास्मा दिक्षा सम्प्रदाय प्रोग्राम	०-६ वर्ष से बढ़े, पाठ्य-निधा/ देखानाल उपाधा	बांग्र मही कार्यकार्ता/हिन्दूय बांग्र मही कार्यकार्ता सह वाल देखानाल उपा-विकास प्रशासक
2.	देखानाल एवं प्रोग्राम प्रशासकी संवाद	प्रधु और छोटे बच्चों के वालाओं (खाई वाले सी एवं) भवंती दीक्षावाल उपा- विकासी संवाद	प्रधुवाली उपा-वाल प्रोग्राम वालाओं वाली प्रशिक्षण, ऐसी वालाएं जिनके बच्चे छीन वर्ष से छोटे हैं	बांग्र मही कार्यकार्ता/हिन्दूय बांग्र मही कार्यकार्ता सह विकास प्रशासक/ प्रधुवाला/ वाला/ ए एवं एवं
		प्राप्ति देखानाल और प्रशासकी संवाद देखानाल, प्रोग्राम प्रशासक उपा- विकास दिक्षा	प्रधुवाली उपा-वाल प्रोग्राम वालाओं वाली प्रशिक्षण प्रधुवाली उपा-वाल देखानाल उपा- विकासी वाली उपा-वाल देखानाल वाला/वाला वाली	वाला/ए एवं ए/ए ओ/हिन्दूय जंगलवाली दीक्षावाली/प्रोग्राम प्रशासकी
		सम्प्रदाय विश्वारित देखानाल और स्थूल वाल बच्चों का उपयोग	प्रधुवाली उपा-वाली उपा-वाल स्थूल वाल वाले बच्चे, उपावी प्राप्ति देखानाल कार्यकार्ता	बांग्रवाली विश्वारित/ ए सम्प्रूद्य/ स्थूलवाली/वालाओं से वृक्ष/प्रधुवाली उपा-वाली/सह वाला/प्रधुवाला/ प्रधुवाली वाली
3.	प्रशासकी संवाद	प्रतिक्रिया उपा-विकास प्रोग्राम प्राप्ति से सम्प्रदाय प्रशासकी प्रशिक्षण/ जाग्र रेकर्स संवाद	०-६ वर्ष से बढ़े, प्रधुवाली प्रशिक्षण उपा-विकास प्रोग्राम वालाओं वाली प्राप्ति ०-६ वर्ष से बढ़े, प्रधुवाली प्रशिक्षण उपा-विकास प्रोग्राम सीधी प्राप्ति ०-६ वर्ष से बढ़े, प्रधुवाली प्रशिक्षण उपा-विकास प्रोग्राम सीधी प्राप्ति	ए एवं ए/ए ओ/वाला/ बांग्र मही कार्यकार्ता/ सुविधावाली के उपर्यं ए एवं ए/ए ओ/वाला/बांग्रवाली सह विकास युविडावत हें कप में ए एवं ए/ए ओ/वाला/ बांग्र मही कार्यकार्ता
4.	सम्प्रदायिक सापंवंदी जाइकाराएं फा- सापंवंदी उपा-सूत्राएं दिक्षा और संवाद	बाईं ईं सी, विक्षयान और संवादान आदि	प्रशिक्षण और सम्प्रदाय	बांग्र मही कार्यकार्ता/हिन्दूय बांग्र मही कार्यकार्ता/प्रधुवाला /ए एवं ओ/प्रिया एवं अय- सम्भाला ओं/प्रधुवाली वाल विकास संवाद विवरण

सोह शिविर

- स्नेह शिविर एक समुदाय आधारित कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य बच्चों में सामाज्य एवं गंभीर अल्पपोषण को कम करने के कार्य में तेजी लाना है।
 - स्नेह शिविर विश्वमत्र में विख्यात 'सकारात्मक विचलन ट्रॉटिकोण' का ऊपान्तरण है जिसका उद्देश्य सामाज्य और गंभीर अल्पपोषण को कम करना है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी)

बेटियों को बचाने, उन्हें संशक्षण देने और सशक्त बनाने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल की घोषणा की है। इस पहल को एक साढ़ीय अभियान के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है और सी एस आर में निचले स्तर के 100 चुनिदा जिलों में बहुबेड़ीय कार्यवाही को केंद्र में रखा गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय खाली एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और सानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है और इसका सट्टोदेश्य है-

- लिंग के आधार पर व्यवनात्मक उच्चूलन को शोकना।
 - बेटियों को बचाना और उनका संखण्ण सुनिश्चित करना।

- बेटियों को पढ़ाना और मार्गीदारी सुनिश्चित करना।

किशोरी शक्ति योजना (केएसवाई)

किशोरी शक्ति योजना का उद्देश्य किशोरियों (11 से 18 वर्ष) को सशक्त बनाना है ताकि उन्हें अपने जीवन की जिम्मेदारी निभाने के लिए सक्षम बनाया जा सके।

किशोरी शक्ति योजना के उद्देश्य:

- किशोरियों के पौष्टिक, स्वास्थ्य और विकास के रूप में सुधार लाना।
- स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण और पारिवारिक देखरेख को बढ़ावा देना।
- उन्हें जीवन कौशल सीखने, स्कूल वापस जाने के अवसरों से जोड़ना।
- उन्हें उनके सामाजिक वातावरण की बेहतर समझ रखाने में सहायता करना।
- उत्पादक सदस्य बनने की पहल करना।

सबला—किशोरियों के लिए योजना

- सबला को 200 चुनिन्दा जिलों में शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य किशोरियों को स्वविकास और सशक्तिकरण के लिए सक्षम बनाना है।
- इस योजना के दायरे में 11 से 18 वर्ष के आयुवर्ग की किशोरियों को रखा गया है।
- इस योजना के अंतर्गत किशोरियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के समेकित पैकेज में निम्न शामिल हैं:
 - पोषाहार
 - आईएफए अनुपूरक
 - स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं
 - पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा (एनएचई)
 - परिवार कल्याण, एआरएसएच, शिशु देखरेख संबंधी मार्गदर्शिका
 - जीवन कौशल शिक्षा और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच

इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आईजीएमएसवाई)

- आईजीएमएसवाई एक सरात् मातृत्व लाम (सीएमबी) योजना है जिसके अंतर्गत गर्भवत्था एवं स्तनपान के दौरान सीधे महिलाओं को नगद धनराशि दी जाती है। यह धनराशि उन्हें कुछ शर्त पूरी करने पर प्रदान की जाती है। इस योजना के द्वारा गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं की शिशु के जन्म से पूर्व और उसके बाद मजदूरी क्षति की आंशिक मरपाई की जाती है।
- इस योजना का लाम 19 वर्ष या अधिक उम्र की महिलाओं को पहले दो जीवित शिशु—जन्म के लिए दिया जाता है।
- आईजीएमएसवाई के अंतर्गत वित्तीय सहायता के रूप में ₹ 6000/- दिए जाते हैं।

प्रशिक्षण और रोजगार सहयोग कार्यक्रम (एसटीईपी)

- एसटीईपी का उद्देश्य महिलाओं को कौशल उन्नयन, विपणन और क्रेडिट लिंकेज

के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि वे स्थायी शोजगार प्राप्त कर सकें।

- इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन सार्वजनिक क्षेत्र संगठनों, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों, परिसंघों, सहकारी और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से किया जाता है।

सेवाएं

- प्रशिक्षण के द्वारा कौशल उन्नयन
- बेहतर और स्थायी शोजगार के अवसर
- पीछे और आगे के लिंकेज
- महिलाओं के संगठन निर्माण में सहयोग
- सहयोग सेवाएं

बच्चों और महिलाओं के विकास और देखरेख के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई गई योजनाएं

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके)

- इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य देखरेख के लिए नवीन दृष्टिकोण अपनाया गया है जिसके तहत गर्भवती महिलाओं और शोगुरस्त नवजात शिशु दोनों के लिए हकदारियां बनाने और जेब से होने वाले खर्च को समाप्त करने पर पूरा जोर दिया गया है।

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत हकदारियां

गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ्त हकदारियां	जन्म के बाद 30 दिनों तक शोगुरस्त नवजात शिशुओं की हकदारियां
● मुफ्त प्रसूति	● मुफ्त उपचार
● मुफ्त सीजेरियन	● मुफ्त दवाइयां और उपक्रेग—वरतुरं
● मुफ्त दवाइयां और उपक्रेग—वरतुरं	● मुफ्त निदान
● मुफ्त निदान	● मुफ्त खून उपलब्ध कराने का प्रावधान
● अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान मुफ्त आहार	● उपयोगकर्ता शुल्क से छूट
● मुफ्त खून उपलब्ध कराने का प्रावधान	● घर से अस्पताल जाने के लिए मुफ्त परिवहन
● उपयोगकर्ता शुल्क से छूट	● रेफरल मामले में अस्पतालों के बीच मुफ्त परिवहन
● घर से अस्पताल जाने के लिए मुफ्त परिवहन	● अस्पताल से घर मुफ्त में पहुंचाना
● रेफरल के मामले में अस्पतालों के बीच मुफ्त परिवहन	
● 48 घंटे तक अस्पताल में रुकने के बाद, मुफ्त में अस्पताल से घर पहुंचाना	

जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई)

- जननी सुरक्षा योजना जात्रीय स्वारूप्य मिशन के अंतर्गत सुरक्षित मातृत्व हस्तक्षेप है। इस योजना का कार्यान्वयन निर्धन परिवारों की गर्भवती महिलाओं में संरक्षणात् प्रसव को बढ़ावा देकर जननी और नवजात शिशु मृत्युदर को कम करने के उद्देश्य से किया जा रहा है।
- जननी सुरक्षा योजना केंद्र द्वारा 100% प्रायोजित योजना है और इसके अंतर्गत नगद सहायता के साथ ही पुसव और प्रसव के उपरान्त देखरेख की समन्वित व्यवस्था की गई है।

सुविधा आधारित नवताज और शिशु देखरेख

नवजात और तुष्टि पैदा हुए शिशु की बढ़ती मृत्यु-दर पर आवश्यक कार्यवाई करने के लिए स्वारूप्य केंद्रों में सुविधा आधारित नवजात देखरेख सेवा पर जोर दिया गया है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं:

- विशेष नवजात देखरेख यूनिट (एसएनसीयू)
- नवजात रिधीकरण यूनिट (एनबीएसयू)
- नवजात देखरेख रथाल (एनबीएसीसी)

गृह आधारित नवजात देखरेख (एचबीएनसी)

- गृह आधारित नवजात देखरेख योजना 2011 में नवजात शिशु मृत्यु-दर और ऊरणता-दर कम करने के लिए शुरू की गई थी।
- योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार हैं:-
 - सभी नवजात शिशुओं को आवश्यक देखरेख प्रदान करना।
 - समय से पहले जन्मे और जन्म के समय कम वजन वाले नवजात शिशुओं को विशेष देखरेख प्रदान करना।
 - बीमारी का शीघ्र पता लगाने और उसके बाद रेफरल को सुकर बनाना।
 - परिवार को स्वारूप्य आवश्यक अपनाने और माताओं द्वारा स्वयं और नवजात शिशु के स्वारूप्य की रक्षा करने के लिए उनका विश्वास और कौशल निर्मित करने में सहायता करना।



समेकित नवजात और शिशु सेवा प्रबंधन (आईएमएनसीआई)

- समेकित दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि शिशु की सभी आवश्यक जरूरतों को स्वारूप्य कार्यकर्ताओं के साथ सम्पर्क के दौरान जाना जाए और पूछा किया जाए।
- इस योजना में स्वारूप्य सेवा प्रदाताओं (विकितसकों और निवले रत्न के कार्यकर्ताओं) का सेवापूर्व और सेवा के दौरान प्रशिक्षण, स्वारूप्य प्रणाली में सुधार (उदाहरण के तौर पर सुविधाओं का रत्नसेचन, समार व्यवस्था की उपलब्धता, रेफरल प्रणाली) और समुदाय एवं परिवार रत्न की देखरेख शामिल है।

सुविधा आधारित समेकित नवजात और शिशु रोग प्रबंधन (एफ-आई एमएनसीआई)

- एफ-आईएमएनसीआई सुविधा आधारित देखभाल पैकेज तथा आईएमएनसीआई पैकेज का समेकन है।
- इसका उद्देश्य स्वास्थ्य कर्मियों को नवजात और शिशु के रोग का प्रबंधन सामुदायिक रूप से साथ अस्पताल में करने का सामर्थ्य प्रदान करना है।

नियमित टीकाकरण कार्यक्रम

- सम्पूर्ण टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत मासित सरकार डिफरेंशिया (जोहिणी), कुकर्खांसी, टिटनस, पोलियो, खसरा, बाल्यावस्था में होने वाली गंभीर तपेंटिक और हैंपेटाइटिस-बी जैसी सात बीमारियों को जोकने के लिए टीका लगवाती है। इन बीमारियों से टीका लगवा कर बचा जा सकता है।
- आगे, 2020 तक पूर्ण टीकाकरण की दर को 65 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2014 में मिशन इन्डियन शुरू किया है।



नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (एनएसएसके)

- नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम एक बुनियादी नवजात शिशु देखभाल और पुनरुज्जीवन प्रशिक्षण कार्यक्रम है।
- इसे शिशु जन्म से जुड़े मुद्दों जैसे हाइपोथ्रेमिया (अत्यपताप) की रोकथाम, संक्रमण की रोकथाम, रत्नपान करवाना शीघ्र शुरू करना और बुनियादी नवजात शिशु पुनरुज्जीवन पर आवश्यक कार्बाई करने के लिए चलाया गया है।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके)

- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एक पहल है जिसका उद्देश्य जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चों की पहचान और शीघ्र हरतक्षेप द्वारा जन्म के समय शुरू होने के लिए बढ़ावा देना है।
- इस कार्यक्रम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले छह साल तक के आमुख्य के बच्चों के साथ सरकारी एवं सरकार द्वारा सहायता प्राप्त रूपों में पहली से 12वीं कक्षा तक में पहने वाले बच्चों को लक्ष्य बनाया गया है।

अत्यधिक गंभीर कुपोषित बच्चों के उपचार हेतु पोषण पुनर्वासि केन्द्र (एनआरसी)

- एनआरसी स्वास्थ्य केन्द्रों में स्थित एक यूनिट है जहां गंभीर रूप से कुपोषण (एसएरएम) से प्रस्तु बच्चों को मर्ती किया जाता है और इन बच्चों की अच्छी तरह देखभाल की जाती है ताकि इनके स्वास्थ्य में सुधार आए और शिशु मृत्यु-दर में गिरावट आए।

- एसएएम को लम्बाई के अनुसार बहुत कम वजन होना (दब्यू एवं ओ वृद्धि मानक के अनुसार मध्यिका से -3 अंक से कम), गर्भीय दिखाई देने वाली वेस्टिंग होना या पौषणिक अडीमा होने से परिमाणित किया गया है।
- 6 से 60 माह के आयु वर्ग के एसएएम शिशुओं की जांच स्वास्थ्य केन्द्रों और समुदाय स्तर पर विनिर्दिष्ट मानदण्डों का प्रयोग करके की जाती है।



विटामिन ए अनुपूरक कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के अंतर्गत 6 माह से 59 माह तक की आयु के बच्चों को विटामिन 'ए' की खुशक दी जाती है। पहली खुशक (विटामिन ए की एक लाख अंतर्राष्ट्रीय यूनिट (आईयू) बच्चे को 9 माह की आयु में टीका लगाते समय ही जाती है और उसके बाद बच्चे को 6-6 माह के अंतराल में विटामिन ए (विटामिन ए की दो लाख अंतर्राष्ट्रीय यूनिट) की खुशक दी जाती है। इस प्रकार 59 माह की आयु तक एक बच्चे को विटामिन ए की कुल 9 खुशकें खिलाई जाती है।

जीवन के सभी चरणों में आयरन की कमी से होने वाले

अनीमिया के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय आयरन प्लस प्रयास (आईएफए और कृमिनाशक औषधि)

राष्ट्रीय आयरन प्लस प्रयास पांच साल तक के बच्चों को पर्यवेक्षित विधि से आयरन फॉलिक एसिड की खुशक, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं, प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं, किशोरों को आई एफ ए अनुपूरक और छह महीने से एक बार कृमिनाशक औषधि देने के लिए शुरू किया गया है।



किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य (एआरएसएच)

- राष्ट्रीय किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य रणनीति के अंतर्गत किशोरों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं के द्वांचे की व्यवस्था की गई है।
- इस रणनीति में किशोरों, विवाहित और अविवाहित लड़कियों और लड़कों के लिए एक महत्वपूर्ण सेवा पैकेज की व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उन्हें निवाशक, प्रोन्नयन, उपचारात्मक और सलाह सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत नियत दिनों और समय पर सलाह सेवा, उपचार की प्राथमिक, हितीय और तृतीय स्तर की नियमित जांच सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

माहवारी के दौरान स्वच्छता को बढ़ावा देने की योजना

- माहवारी के दौरान स्वच्छता को बढ़ावा देने की योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में किशोरियों (10 से 19 वर्ष की उम्र वाली) के बीच बेहतर स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु इस बात को सुनिश्चित करना है कि उनके पास सैनेटरी नैपकिन के उपयोग के बारे में पर्याप्त जानकारी और ज्ञान रहे।
- सैनेटरी नैपकिन का पैक (जिसमें 6 पैड होते हैं) 'फ्रीडेंज' के नाम से जाना जाता है और यह आशा द्वारा किशोरियों को ₹ 6 प्रति पैक की दर पर बेचा जाता है।

साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड अनुपूरक (डब्ल्यू आई एफ एस) कार्यक्रम

- डब्ल्यू आई एफ एस कार्यक्रम का उद्देश्य किशोर/किशोरियों (10 से 19 वर्ष) में पोषणिक अनीमिया को और उसकी गंभीरता को कम करना है।
- इसका कार्यान्वयन ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में निम्नलिखित दो लक्ष्य समूहों के लिए किया जा रहा है:
 - क किशोर और किशोरियां, जो सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/नगरपालिका रुकूलों में 6ठी से 12वीं कक्ष में नामांकित हैं।
 - ख किशोरियां जो रुकूल में नहीं पढ़ती हैं।



डब्ल्यू आई एफ एस कार्यक्रम के अंतर्गत विवाहित गर्भवती और रक्तनपान करनाने वाली किशोरियों को शामिल किया गया है।

डब्ल्यू आई एफ एस कार्यक्रम के घटक

- साप्ताहिक आधार पर आयरन और फोलिक एसिड अनुपूरक खुशक
- जांच और रेफरल
- वर्ष में दो बार कृमिनाशक औषधि खिलाना
- सूचना और सलाह

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर के एस के)

- यह कार्यक्रम मांगीदारी अधिकार, समावेशन, जैंडर समानता और रणनीतिक सहमतिगति के सिद्धांतों पर आधारित है।
- आर के एस के अंतर्गत अभिकल्पना की गई है कि भारत में सभी किशोर/किशोरियां अपनी क्षमताओं को समझ सकें और अपने स्वास्थ्य एवं स्वरूप जीवन शैली से संबंधित संसूचित और जिम्मेदारीपूर्ण निर्णय ले सकें।
- कार्यक्रम से यह अपेक्षित है कि प्रमावकारी संचार, क्षमता निर्माण और निरीक्षण और मूल्यांकन के लिए स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाया जाए।

अन्य पहल

पोषण संसाधन मंच (एन आर पी)

पोषण संसाधन मंच महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा उठाई गई पहल है जिसे विभिन्न पण्डितियों को पोषण और बाल विकास से संबंधित संसाधनों और वरतुओं को एकत्र और उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकसित किया गया है।



पोषण हेल्पलाइन

महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने बेहतर स्वास्थ्य के लिए 'पोषण' पर जोखियां जागरूकता अभियान को पहल करने के लिए टोल फ़ी पोषण हेल्पलाइन की योजना बनाई है।

जो पोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक अभिनव पहल है।

टोल फ़ी नम्बर 1800-11-16 06

संचालन समय: प्रातः 9.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक सोमवार से शुक्रवार तक

*शुक्र में यह हेल्पलाइन दिल्ली और राष्ट्रीय राज्यानी सेव में स्थापित की जाएगी और उसके बाद इसे थोड़े-थोड़े पूरे भारत में स्थापित किया जाएगा।

वन स्टॉप सेंटर

वन स्टॉप सेंटर, महिला और बाल विकास मंत्रालय की शिल्कुल हाल की पहल है। इन केन्द्रों का उद्देश्य हिंसा से प्रमाणित महिलाओं को सहयोग प्रदान करना है। यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, घरेलू हिंसा, देह व्यापार सम्मान संबंधी अपशाद, एसिड अटैक या पीछा करने के कारण, किसी तरह की हिंसा से व्यक्ति महिलाएं जो केन्द्र तक पहुंच गई हैं या जिन्हें वन स्टॉप सेंटर पर भेजा गया है उन्हें विशेष सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

मदर एण्ड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम (एम सी टी एस)

- एम सी टी एस एक नाम आधारित गर्भवती महिला और शिशु खोज प्रणाली है।
- इसका उद्देश्य व्यक्तिगत स्तर पर प्राप्त स्वास्थ्य सेवाओं खासतौर से प्रसवपूर्व जांच और टीकाकरण जैसी सेवाओं के बारे में सूचना प्रदान करना है। इसके लिए प्रत्येक महिला और शिशु द्वारा स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत ली गई हर सेवा का निरीक्षण होता है।

राष्ट्रीय टीका एक्सप्रेस

- यह नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत वैकल्पिक टीका डिलिवरी के कार्यान्वयन में कमी को पूछा करने के लिए स्वारूप्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक पहल है।
- इस पहल के हिस्से के रूप में “राष्ट्रीय टीका एक्सप्रेस” बांड नाम वाला नियारित बाहन टीका डिलिवरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित ठग से चलाने में मदद करता है, इसमें निम्नलिखित शामिल हैं—
 - टीकाकरण के रथानों पर टीका वितरण
 - खुले और बिना इस्तेमाल हुए टीकों को मण्डार में वापस ले जाना ताकि उसे बाद के दिनों में उपयोग किया जा सके।



खाद्य पेय जल और खाद्य अपमिश्रण

खाद्य एवं जल संदूषण

खाद्य वर्तु या जल में किसी ऐसी अवाधित वर्तु का होना, जो उसकी गुणवत्ता को घटाती हो, को संदूषण समझा जाता है।

- भौतिक: धूल, बाल, सफेद पथर और धातु के कण
- रसायनिक: सीसा, सरिंधा, पारा, जहरीले या नशीले द्रव्य
- जैविक: सूक्ष्म जीव – बैक्टीरिया, पैशासाइट, वायरस जैसे विषाणु जो बीमारियों का कारण बनते हैं

संक्रमण और उसका संचरण

- बैक्टीरिया, वायरस और पैशासाइट्स जैसे सूक्ष्मजीवों का हमला और उनका विस्तार जो प्रायः शारीर के मीतर मौजूद नहीं होते।
- संदूषित खाद्य वर्तु और/अथवा जल का उपयोग संक्रमण का एक महत्वपूर्ण कारण है जिसके फलस्वरूप बीमारियाँ फैलती हैं।
- संक्रमक बीमारियाँ संपर्क से होती हैं और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं या पर्यावरण बैक्टर के कारण फैलती हैं।
- संक्रमक बीमारियाँ जब आबादी के बड़े माग को तो जी से प्रमाणित करती हैं तो उसे महामारी कहते हैं।



संदूषित जल अनेक जल जनित संक्रमणों और बीमारियों का कारण होता है। इनका प्रमुख कारण मुङ्ह के रास्ते पेट में गंदगी का जाना है। जल संदूषण से होने वाली सामान्य बीमारियाँ नीचे दी गई हैं:


- हैंजा
- अतिसार
- हैंपेटाइटिस
- टायफ़ायड

सुरक्षित पेय जल: जलरत और महत्व

- सुरक्षित जल बीमारी फैलाने वाले जीवाणु से रहित होता है और उसमें हानिकारक रसायन नहीं होते।
- स्वस्थ जीवन के लिए शुद्ध पेय जल मनुष्य की सबसे पहली जलस्त है।
- शुद्ध और सुरक्षित पेय जल से अतिसार, जॉनडिस आदि जैसी कई बीमारियों को रोका जा सकता है।
- सुरक्षित जल की आवश्यकता निम्नलिखित के लिए होती है:
 - पीने
 - खाना पकाने
 - फल और सब्जियां धोने
 - बस्तन धोने
 - स्नान और स्वयं की सफाई रखने के लिए

जल का शुद्धिकरण

- उबाल कर
- बतोरीन का प्रयोग कर
- बाटर फिल्टर और इलेक्ट्रिक प्यूरीफायर का प्रयोग कर
- साफ मतमल कपड़े का प्रयोग कर



जल सुरक्षा के उपाय

- खाद्य और बस्तन धोने के लिए प्रयुक्त जल ऐसा होना चाहिए कि उससे खाद्य वर्तुर/मोजन प्रदूषित न होने पाएं।
- जल रखने के लिए प्रयुक्त बस्तन/बालटी को समय-समय पर साफ किया जाना चाहिए।
- सुरक्षित पेय जल सदैव सप्ततम्य होना चाहिए और उसे पात्र में ढक कर रखना चाहिए।
- पात्र से जल निकालते समय जल में हाथ/उंगुलियां न डुबाएं।
- टूटी सहित पात्र का प्रयोग करें या लम्बे हैंडलवाले बस्तन का प्रयोग करें।
- यदि बाटर फिल्टर/प्यूरीफायर का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसकी सफाई से संबंधित नियमित अनुदेशों का पालन करें।

खाद्य अपमिश्रण

- खाद्य वर्तु जीवन की बुनियादी आवश्यकता है।

- खाद्य वर्स्टु तब अपमिश्रित होती है जब बाजार में बेचे जाने वाली खाद्य वर्स्टु की गुणवत्ता को घटिया वर्स्टु को मिलाकर या उसके रथान पर घटिया वर्स्टु बेच कर या उसके कुछ बहुमूल्य तत्व को निकाल कर चढ़ाया/गिराया जाए।
- किसी खाद्य पदार्थ में "अपमिश्रक ऐसी सामग्री है जिसका इरतेमाल खाद्यवर्स्टु को असुरक्षित बनाने, घटिया दर्ज का बनाने या गलत ब्रैंड का प्रस्तुत करने या खाद्य वर्स्टु में किसी बाहरी वर्स्टु के प्रयोग के लिए किया जाता है।

खाद्य अपमिश्रक के प्रकार

- खाद्य वर्स्टुओं में मिलावट जानबूझ कर की जाती है या संयोगवश हो सकती है।
- अपमिश्रक की प्रकृति चाहे जो भी हो, अपमिश्रित खाद्यवर्स्टु खतरनाक होती है।
- अपमिश्रक से खाद्यवर्स्टु विषैली हो जाती है जिसका शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है और/अथवा शरीर के विकास और बुद्धि के लिए जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते।

• बाल, मार्बल के दुकड़े, पत्थर, दूसरी गंदी वर्स्टुएं, चाक पाउडर, खनिज तेल, खतरनाक रंग

जानबूझकर मिलाए गए अपमिश्रक

• कीटनाशक दवाओं के कण, चूहों के बाल, लाशवे जो खाद्य वर्स्टु में मिल जाते हैं और सूक्ष्मजीवाणु

संयोग वश मिलावने वाले अपमिश्रक

• पेर्सटीसाइड से सखिया, पानी से सीसा, रसायन उद्योगों के उत्सर्जन ड्रम से टिन के कण आदि

धातुजनित संदूषक

खाद्य अमिश्रण से बचने के टिप्प

- सदैव ब्रैंड और अच्छी तरह लेबल लगे उत्पादन खरीदें।
- एफ एस ए आई मार्क वाले संसाधित खाद्य वर्स्टु खरीदें और बीआईएस मार्क वाला पानी खरीदें।
- कीमत से अधिक गुणवत्ता को महत्व दें। सस्ता देखकर खाशब सामान न खरीदें।
- खाद्य वर्स्टुओं को लेबल को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- यदि खाद्य वर्स्टु में वह गुणवत्ता नहीं है जिसका वह दवा करते हैं तो शिकायत करें।

सामान्य अपमिश्रक और उनका स्वास्थ्य पर प्रभाव

अपमिश्रक	खाद्य वस्तु	स्वास्थ्य पर प्रभाव
कैंसरी दाल	अरहर दाल/ चना दाल	इसके प्रिणानप्यलाप लैंथारिजम होता है जिससे कैंसरी के निचले आंगों में लक्षण भार जाता है।
अजिंमोन तेल	नाशियन तेल, मूँगफली तेल, सरसों तेल	यह जहरीला होता है इससे जलोदर होता है।
पेट्रोलियम पदार्थ	वसा और तेल	इसके कारण पेट-अंतों की परेशानी होती है।
कृत्रिम रंग	प्रसंस्कृत और ताजे फल	तरह-तरह के स्वास्थ्य खतरे और बच्चों में व्यवहार संबंधी समस्याएं
जीवाणु-संदूषण		
स्टैफाइनो कोकस औशियस	पश्चात गर जोगन में (जोगन तंत्रार रुने और परोमने पाले घविंग के हाता थे)	पेट व अंतों की समस्या
सात्मोनेत्ता एंटरप्राइज	अंडे	सात्मोनेत्तोसिस
क्लोरिट्रिडियम ब्रॉटुलिनम	डिब्बाबंद खाना	बोटुलिनम
बैंसितस सेरेयस	अनाज	अतिसार
सात्मोनेत्ता टाइफी	जोगन और जल को संदूषित करता है	आंतरिक ज्वर, दायफायड, जोगन-जनित सात्मोनेत्तोसिस
अपलाटोक्सीन	मकई, धान/ चावल, ज्वार, मूँगफली, गेहूं, जां, सोयाबीन और इनके अन्य उत्पादन	उत्तीर्ण पेट में दर्द, फुपफुस रोग, ऐठन, बेहोशी और मृत्यु
धातु और रसायन संदूषण		
असीनिक	फल पर असीनिक सीसायुक्त पानी का छिड़काव होना, पीने का पानी	आत्मस्थ, कंपकर्पी एंठन, फ्साब्रात से लेकर मृत्यु तक
सीसा	संसाधित जोगन	फ्साब्रात और भस्तिक घति
टिन	डिब्बाबंद खाना	उत्तीर्ण और पेट में दर्द
नाइट्रोट और नाइट्रोइटस	पेयजल, पानक और मास	कंतेजे, गुर्दे और फेफड़ों में कैंसर और दृश्यमर
एटीबोडीस	एंटीबायोटिक खाने वाले पशु का मांस	ओर्बिटा का प्रभाव न पड़ना, आर्टरीज का सख्त होना और हृदय रोग
पेस्टीसाइड	हर तरह की आय वस्तु	अत्यधिक और तम्बे समय तक जहर के सेवन से कंतेजे, गुर्दे भस्तिक और तंत्रिकाएं नष्ट हो जाती हैं, जिससे मृत्यु हो जाती है

खाद्य अपमिश्रण के स्थिलाफ विधायी प्रावधान

- खाद्य वस्तु में मिलावट की रोकथाम और उपमोक्ता को जालसाजी एवं घोखाधड़ी से बचाने के लिए खाद्य वस्तु अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 में प्रावधान किए गए हैं।
- इस अधिनियम को उपमोक्ता को विशुद्ध और पौष्टिक स्रोजन उपलब्ध कराने और अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
- तथापि, 2006 में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में मिला दिया गया।
- खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में खाद्य वस्तु से संबंधित सभी कानूनों को एक रूपान पर लाया गया और मार्शलीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की रूपाना की गई।

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (एफएसएसए) के अधीन दण्ड और क्षतिपूर्ति

दण्ड

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के अन्तर्गत कोई व्यक्ति जो खवयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति से किसी खाद्य वस्तु को विक्रय या भण्डारण विनिर्भर्त करवाता है, या विक्रय और बंटवाता है या आयात करता है, जो मनुष्यों द्वारा उपभोग किए जाने के लिए असुरक्षित है, वह दण्ड का भागी है।

असुरक्षित खाद्य वस्तु के लिए दण्ड

यदि उपभोग के परिणाम रूपरूप मृत्यु होती है:

- सात साल की कँद जिसे आजीवन काशावास में बदला जा सकता है
- कम से कम 10 लाख रुपए का जुर्माना

यदि उपभोग के परिणाम रूपरूप गंभीर घोट पहुंचती है:

- कँद जिसे छह साल तक बढ़ाया जा सकता है
- जुर्माना जिसे 5 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है

यदि उपभोग के परिणाम रूपरूप ऐसी घोट पहुंचती है जो गंभीर नहीं है:

- कँद जो एक साल तक हो सकती है
- जुर्माना जिसे 3 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है

यदि उपभोग के परिणाम रूपरूप घोट नहीं पहुंचती है:

- कँद जिसे छह माह तक बढ़ाया जा सकता है
- जुर्माना जिसे 3 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है

उपभोक्ता को चोट पहुंचने या उसकी मृत्यु होने की स्थिति में क्षतिपूर्ति

मिलावटी खाद्यवस्तु के उपयोग के कारण यदि किसी उपभोक्ता को चोट पहुंचती है या उसकी मृत्यु होती है, तो वह च्यायालय की शक्ति से निमानुसार क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का हकदार होगा:

- मृत्यु की रिधति में कम से कम 5 लाख रुपए।
- गमीर चोट की रिधति में अधिक से अधिक 3 लाख रुपए।
- किसी अच्य तरह की चोट के मामले में अधिक से अधिक एक लाख रुपए।

- क्षतिपूर्ति का मुगतान यथारीधि किया जाएगा किन्तु किसी भी रिधति में दुर्घटना की तारीख से छह माह से अधिक समय नहीं लगना चाहिए।
- मृत्यु हो जाने की रिधति में दुर्घटना की तारीख से तीस दिनों के भीतर निकटतम संबंधी को अंतरिम राहत का मुगतान किया जाएगा।

परिषक्त शामिल किए गए विधयों, संबंधित गतिविधियों और अनुज्ञनकों के लिए परिषक्त माड्यूल में दूसरा दिन सत्र 2,3,4 और 5 का संदर्भ ले सकते हैं।

टिप्पणियाँ

टिप्पणियाँ



भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्यों का मंत्रालय
11 वीं मंजिल, पर्यावरण भवन
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड
नई दिल्ली 110016



राष्ट्रीय जन सहयोग
एवं बाल विकास संस्थान (निपसि८)
5, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास
नई दिल्ली-110016